न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -50/2022

अनवान

श्रीमती मंजु कंवर पुत्री श्री शंकर सिंह जी पत्नी श्री गिरिराज सिंह, जाति राजपूत, आयु 50 वर्ष, निवासी बम्बोरीकलां, हाल निवासी कच्ची बस्ती रंगबाड़ी, मधु स्मृति के पीछे, झीरीवाले बाबा मंदिर के सामने कोटा, जिला कोटा राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. गजराज सिंह पिता श्री शंकर सिंह, जाति राजपूत, आयु 62 वर्ष, निवासी बम्बोरीकलां, हाल निवासी केवलनगर, तहसील लाडपुर, जिला कोटा, राजस्थान।
2. श्रीमति दक्ष कंवर पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, आयु बालिग, निवासी बम्बोरीकलां, हाल निवासी केवलनगर, वर्तमान निवासी मकान नं. 1182 महावीर नगर द्वितीय कोटा, जिला कोटा।
3. हर्ष सिंह पिता श्री विजेन्द्र सिंह, नाबालिग उम्र 11 वर्ष सरपरस्त माता श्रीमति दक्ष कंवर, जाति राजपूत निवासी बम्बोरीकलां, हाल निवासी केवलनगर, वर्तमान निवासी मकान नं. 1182 महावीर नगर द्वितीय कोटा, जिला कोटा, राजस्थान।
4. रिया पुत्री श्री विजेन्द्र सिंह, नाबालिग उम्र 15 वर्ष सरपरस्त माता श्रीमति दक्ष कंवर, जाति राजपूत निवासी बम्बोरीकलां, हाल निवासी केवलनगर, वर्तमान निवासी मकान नं. 1182 महावीर नगर द्वितीय कोटा, जिला कोटा, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
बलवीर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01से 04

निर्णय दिनांक 12.11.2024

प्रार्थीया के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने आप न्यायालय श्रीमान् में एक वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,183,188 रा0टि0 एक्ट बंटवारा, घोषणा, बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है जो कि सुदृढ़ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही वादीया के हक में निर्णित होगा लेकिन निर्णय होने में समय लगने की संभावना है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादीया के खातेदारी हक व हिस्से की आराजीयात में अमल दखल कर बुवाई करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। ग्राम मौजा बम्बोरीकलां, प0ह0 जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 19, खसरा संख्या 256, 257, 33, 50, 59, 61, 68 कुल किता 07 कुल रकबा 8.3200 हैक्टेयर लगानी 54.54 रूपये खाते में गजराज सिंह, मंजु कंवर, विजेन्द्र सिंह पिता श्री शंकर सिंह, जाति राजपूत के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें तीनों का ही 1/3, 1/3 का हक व हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा विजेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो जाने से उनके कानूनी वारिसान विपक्षी संख्या 02, 03 व 04 को पक्षकार बनाया गया है इसलिए विजेन्द्र सिंह का 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 02, 03 व 04 का है तथा प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 से 04 खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा बंटवारा हो चुका है लेकिन मौके पर किसी के पास ज्यादा जमीन है किसी के पास कम है लेकिन राज[illegible] बटवारा नहीं होने के कारण आये दिन वाद-विवाद होते रहते हैं इसलिए यह प्रार्थना[illegible] पेश [illegible] आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर [illegible] तो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा बैंक में आपत्ति [illegible] प्रार्थीया का कब्जा नहीं है जिस पर बैंक द्वारा दिनांक 02.02.2022 को सूचना दी, जिस[illegible] प्रार्थीया द्वारा बैंक में जाकर पता किया जो पता चला कि अप्रार्थीया संख्या 01 व 02 द्वारा मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होकर झूठी नोटिसबाजी मेरे विरूद्ध करवायी है जिस पर मुझ प्रार्थीया द्वारा दिनांक 02.02.2022 को ही अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम तुझ जमीन नहीं देंगे तथा तेरे हिस्से की जमीन पर हम कब्जा करके

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:22 IST
Reason: SelfAttested

ही रहेंगे तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा मुझ प्रार्थीया को गाली गलौच कर वहां से भगा दिया, इसलिए यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थीया द्वारा ग्राम बम्बोरीकलां की आराजी संख्या 256, 257, 33, 50, 59, 61, 68, कुल किता 07, कुल रकबा 8.3200 हेक्टर, लगानी 54.54 रूपये में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वर्तमान में प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं हिस्से की कृषि आराजियात में किसी प्रकार का अमलदखल, दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से कराने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह मय वकालतनामा प्रस्तुत प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिए गए बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं होने से इनका जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मौजा बम्बोरीकलां, प0ह0 जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 19, खसरा संख्या 256, 257, 33, 50, 59, 61, 68 कुल किता 07 कुल रकबा 8.3200 हैक्टेयर लगानी 54.54 रूपये खाते में गजराज सिंह, मंजु कंवर, विजेन्द्र सिंह पिता श्री शंकर सिंह, जाति राजपूत के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें तीनों का ही 1/3, 1/3 का हक व हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा विजेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो जाने से उनके कानूनी वारिसान विपक्षी संख्या 02, 03 व 04 को पक्षकार बनाया गया है इसलिए विजेन्द्र सिंह का 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 02, 03 व 04 का है तथा प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 से 04 खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से किसी के पास कम व किसी के पास अधिक भूमि होने से आए दिन वाद विवाद होता रहता है प्रार्थीया अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम मौजा बम्बोरीकलां, प0ह0 जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 19, खसरा संख्या 256, 257, 33, 50, 59, 61, 68 कुल किता 07 कुल रकबा 8.3200 हैक्टेयर लगानी 54.54 रूपये हेक्टर कृर्षि भूमि प्रार्थीया की सहखातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थीया का ना होकर अप्रार्थीगण का होना साबित होता है तथा उक्त आराजीयात का बंटवाडा नहीं होने से भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:22 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा